जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-29.04.2025

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्टरी संचालन का भंडाफोड करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे, कारतूस एवं शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद।

दिनांक 28/29.04.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शस्त्र की बरामदगी/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा ऊन में शफीक पुत्र मजीद निवासी मौहल्ला सुभाषनगर कस्बा ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली की वैल्डिंग की दुकान है जो रात में चोरी छिपे दुकान को खोलता है तथा वैल्डिंग के कार्य की आड़ में अवैध शस्त्र बनाकर बेचने का कार्य भी करता है। इस सूचना पर झिंझाना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये चौसाना तिराहा कस्बा ऊन में स्थित वैल्डिंग की दुकान में संचालित अवैध शस्त्र फैक्टरी का खुलासा करने व 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मौके से भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए है।

फैक्ट्री संचालक अभियुक्त शफीक द्वारा अपने आर्थिक उद्वेश्य की पूर्ति हेतु उक्त फैक्ट्री का संचालन करना बताया है। गिरफ्तार 02 अन्य अभियुक्त अजहर, आरिस के कब्जे से शफीक द्वारा बनाये गये 02 तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये है दोनो अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उक्त तमंचो को हमने शफीक से खरीदा है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है जिनके आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.शफीक पुत्र मजीद निवासी मौहल्ला सुभाषनगर कस्बा ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली (फैक्ट्री संचालक)।

2.अजहर पुत्र नवाब निवासी मौहल्ला रविदासपुरी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

3.आरिस पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला रविदासपुरी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. 06 तमन्चे 315 बोर।
2. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
3. 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।
4. 08 तमंचे की नाल अधबनी 315 बोर।
5. 06 तमंचे की नाल अधबनी 12 बोर।
6. अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण (एक आरी मय ब्लेड़, एक ड्रिल मशीन मय छोटा व बड़ा ड्रिल बिट, दो ग्राईंडर मय दो पत्ते, एक प्लास, एक स्क्रू डाईवर, दो बड़ी व तीन छोटी रेत्ती, तीन हथौड़ी, एक बांक शिकंजा, आठ स्क्रू

पत्ती, एक मनसूख चूहड़ी काटने वाला, चार बरमें, तीन ठैबी, तीन प्लेट कटी हुई, चार अधबनी तमंचे की बाड़ी पत्ती, एक लोहे की राड करीब 02 बालिस्त, 01 हैण्डिल घुमाने वाला, 16 वैल्डिंग राड़, एक वैल्डिंग मशीन मय लीड़, एक इंचटैप आदि)।

<u>थाना झिंझाना पुलिस दवारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम टोड़ा में युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामदः-</u>

ज्ञात हो कि दिनाँक 27.04.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम टोडा में सरफराज पुत्र इमामूद्दीन को गौतम पुत्र श्रीपाल द्वारा उसके घर के सामने चबूतरे पर बैठे हुये पर अचानक कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया था, जिसकी वीड़ियो सोशल मीड़िया पर वायरल हो रही थी । घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 195/2025 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था । घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना पुलिस के अलावा एसओजी व सर्विलांस को भी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था ।

इसी क्रम में दिनाँक 28.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा गठित टीमो द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये घटना में संलिप्त अभियुक्त गौतम पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम टोड़ा थाना झिंझाना जनपद शामली को घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया गया है । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>घटना का उद्देश्यः-</u> अभियुक्त गौतम नें पूछताछ पर बताया कि मुझे जानकारी हुई थी कि सरफराज मेरी बहन को परेशान व आपत्तिजनक बातें करता था । इसी बात से क्षुब्ध होकर मैने दिनाँक 26.04.2025 को सरफराज पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया था तथा मौके से भाग गया था । अभियुक्त द्वारा उसकी बहन के बारे में आपत्तिजनक बातें करने से क्षुब्ध होकर उपरोक्त घटना कारित की है ।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

गौतम पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम टोड़ा थाना झिंझाना जनपद शामली ।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी ।

<u>थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-</u>

दिनांक 28.04.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढ़ीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.सावेज पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम पलठेड़ी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.एक अवैध चाकू।

थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 16 पव्वे देशी शराब बरामदः-

दिनांक 28.04.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 16 पव्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढ़ीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रोहित पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम मानकपुर थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.देशी शराब 16 पव्वे।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 ग्राम स्मैक बरामदः-

आज दिनांक 29.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 10 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.हारुन पुत्र असगर निवासी ग्राम बसेड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 10 ग्राम स्मैक।

<u>थाना कैराना पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से देशी व अग्रेंजी शराब तथा एक गाड़ी बरामदः-</u>

दिनांक 28/29.04.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त कार्यवाही में चैक पोस्ट यमुना ब्रिज से 04 अभियुक्तगण को 12 बोतल देशी शराब, 06 बोतल अंग्रेजी शराब (हरियाणा राज्य में बिक्री हेतु) व एक हुंडई ओरा गाड़ी सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.पंकज पुत्र जोगिन्दर निवासी ग्राम बुडश्याम थाना समालखा जनपद पानीपत हरियाणा।

2.पिंक्कू उर्फ रिंकू पुत्र दिलावार निवासी ग्राम बुडश्याम थाना समालखा जनपद पानीपत हरियाणा।

3.सुनील उर्फ कर्मजीत पुत्र शमशेर निवासी ग्राम बुडश्याम थाना समालखा जनपद पानीपत हरियाणा।

4.धर्मा उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र दलवीर निवासी ग्राम बुडश्याम थाना समालखा जनपद पानीपत हरियाणा।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.देशी शराब 12 बोतल (हरियाणा राज्य में बिक्री हेतु)।

2.अंग्रेजी शराब 06 बोतल (हरियाणा राज्य में बिक्री हेतु)।

3.एक हुंडई ओरा गाड़ी रजि0नं0 HR06BB1934

थाना झिंझाना/बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 29.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना/बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.किशोर पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मस्तगढ़ी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.पवन पुत्र मांगा निवासी ग्राम कैड़ी थाना बाबरी जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 05 अलग-अलग मामलों में 07 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 9,050 /- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2004 में अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र जगमेहर निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 400/2004 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 29.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5,00/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 2010 मे अभियुक्तगण 1.कामिल पुत्र कासिम 2.शहजाद पुत्र रशीद 3.रिजवान उर्फ बाला पुत्र रशीद निवासीगण थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 725/2010 धारा 332/353/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम मे आज दिनांक 29.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में 2,000-2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.- वर्ष 2023 मे अभियुक्त नफीस पुत्र कासिम निवासी प्रेमनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 553/2023 धारा 186/34 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम मे आज दिनांक 29.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में 5,00/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.-वर्ष 2002 में अभियुक्त अमीर अहमद पुत्र कय्यूम निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 518/2002 धारा 39/49 विद्युत अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 29.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ह। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारुवास का प्रावधान किया गया है।

5.-वर्ष 2002 में अभियुक्त शिवकुमार पुत्र ताराचंद निवासी मेघनमाजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 378/2002 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 29.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारुवास का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI